न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 126/2022 बउनवानी खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति० जिला कलेक्टर, स०मा० ग्राम व पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर

GCMS No-2022/201

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय(पूल) सवाईमाधोपुर के द्वारा सवाईमाधोपुर जिलें मे कार्यरत उपखण्ड अधिकारियों को आवंटित सरकारी वाहनो की प्रमाणित सूचि मय नम्बर एवं वर्ष सहित नियमानुसार उपलब्ध करावे।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (भू.अ.)सवाईमाधोपुर के द्वारा सवाईमाधोपुर में जिलें कार्यरत तहसीलदारों को आवंटित सरकारी वाहनों की प्रमाणित सूचि मय नम्बर एवं वर्ष सहित नियमानुसार उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(99)/सूकाअ/2022/1286 दिनांक 9.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी जिला पूल के पत्रांक/पूल/आरटीआई/2022/1162 दिनांक 20.10.2022 से अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 30.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी जिला पूल के पत्रांक/पूल/आरटीआई/2022/1162 दिनांक 20.10.2022 से अपीलान्ट उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर